

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) एवं वन
संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने की वचनबद्धता
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग, के चैनेज नं0-0.000 से 40.150 तक तहसील-राबर्टसगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के समय संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधक एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुपालन हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिसाक्षी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग सोनभद्र
अधिसाक्षी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग सोनभद्र

**वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) एवं वन
संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने की वचनबद्धता**
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग, के चैनेज नं0-40.150 से 46.050 तक तहसील-राबर्ट्सगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के समय संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधक एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुपालन हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग सोनभद्र
अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग सोनभद्र